राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक प0 3(1)राज–3/2018 जयपुर, दिनांक 19/11/2019

जिला कलक्टर
उदयपुर

विषयः– राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत गठित आवंटन सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित करने के संबंध में।

कार्यालय जिला कलक्टर उदयपुर के पत्र दिनांक 18.02.2019 एवं 04.11.2019 से राजकीय भूमि को संबंधित काश्तकारों को आवंटन/नियमन हेतु राज्य सरकार की अनुमति चाही है। इस संदर्भ में आपका ध्यान इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 06.02.2018 (प्रति संलग्न) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 13 में गठित सलाहकार समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करवाये। नियमों में आवंटन हेतु राज्य सरकार से अनुमति लेने का प्रावधान नहीं है एवं न ही राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन हेतु कोई रोक लगाई गई है।

अतः आप समसंख्यक पत्र दिनांक 06.02.2018 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे।

(संजय मल्होत्रा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
3. रक्षित पत्रावली

प्रमुख शासन सचिव

Scanned by CamScanner